भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4257

(दिनांक 18.03.2026 को उत्तर देने के लिए)

डिजिटल पायरेसी

4257. श्री प्रद्युत बोरदोलोईः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2020 से उन वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेशन और सोशल मीडिया प्लेटफार्म की पहचान की है जो बार-बार पायरेटेड (चोरी की गई) सिनेमैटोग्राफ फिल्मों और दृश्य-श्रव्य सामग्री (ऑडियो-विजुअल कंटेंट) को प्रसारित करने या उन तक पहुंच प्रदान करने में शामिल हैं;

(ख) यदि हाँ, तो पहचान किए गए उक्त प्लेटफार्मों की संख्या कितनी है तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और संबद्ध नियमों के अंतर्गत कितने प्लेटफार्मों के विरुद्ध ब्लॉकिंग, टेकडाउन या डिसेबलिंग (अक्षम करने) के आदेश जारी किए गए हैं, तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कॉपीराइट धारकों के लिए डिजिटल पायरेसी की रिपोर्ट करने और त्वरित राहत प्राप्त करने हेतु कोई समयबद्ध शिकायत निवारण या फास्ट-ट्रैक तंत्र स्थापित किया है;

(घ) यदि हाँ, तो स्थापित किए गए तंत्र और प्राप्त, अधिनिर्णित और समाधान की गई शिकायतों की वर्ष-वार संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा पायरेटेड सामग्री को फिर से अपलोड होने से रोकने के लिए मंत्रालय, सीईआरटी-इन, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और मध्यवर्तियों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ङ): चलचित्र (संशोधन) अधिनियम, 2023 ने फिल्म पायरेसी को रोकने के लिए विधिक ढांचे को सुदृढ़ किया है। चलचित्र अधिनियम की धारा 6कक और 6कख फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रसारण को प्रतिबंधित करती हैं। धारा 7 (1क) में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 6कक या धारा 6कख के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे न्यूनतम 3 माह के कारावास और 3 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जिसे अधिकतम 3 वर्ष के कारावास और लेखापरीक्षित सकल निर्माण लागत के 5 प्रतिशत तक के जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, धारा 7(1ख)(ii) सरकार को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3) के अंतर्गत पायरेटेड सामग्री होस्ट करने वाले मध्यस्थों को अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान करती है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नामोदिष्ट नोडल अधिकारियों के माध्यम से शिकायतें प्राप्त करने हेतु एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया है, जैसा कि दिनांक 03.11.2023 की सार्वजनिक सूचना के माध्यम निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया है। ऐसी शिकायतें चलचित्र फिल्मों के मूल कॉपीराइट धारकों, उनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इंटरनेट पर फिल्मों की पायरेटेड या उल्लंघनकारी प्रतियों के प्रदर्शन के संबंध में प्रस्तुत की जा सकती हैं। प्राप्त होने पर, पहचाने गए लिंक तक पहुंच को निष्क्रिय करने के लिए मध्यस्थों को अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(ख), उपयुक्त सरकारों द्वारा अवैध कृत्य या सामग्री के संबंध में मध्यस्थों को ऐसी सामग्री को हटाने अथवा उस तक पहुंच निष्क्रिय करने हेतु अधिसूचना जारी करने का प्रावधान करती है। मध्यस्थों के लिए यह आवश्यक है कि वे तत्समय किसी भी प्रचलित विधि का उल्लंघन करने वाली सामग्री को हटा दें, जब भी उसे चाहे न्यायालय के आदेश के माध्यम से अथवा उपयुक्त सरकार या उसकी अधिकृत एजेंसी द्वारा सूचना के माध्यम से उनके संज्ञान में लाया जाए।

भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) अधिसूचित किए हैं। आईटी नियम, 2021 का भाग-II, जो मध्यस्थों से संबंधित है, जिसमें सोशल मीडिया

मध्यस्थ भी शामिल हैं, अन्य बातों के साथ-साथ मध्यस्थों पर उनके प्लेटफॉर्म पर होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, प्रकाशित, पारेषित, संग्रहीत अथवा साझा की जाने वाली जानकारी के संबंध में विशिष्ट दायित्व निर्धारित करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमों के नियम 3(1)(ख) में यह प्रावधान है कि मध्यस्थ स्वयं युक्तिसंगत प्रयास करें। वे अपने कंप्यूटर संसाधन का उपयोग किसी भी ऐसी जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रेषित, संग्रहीत, अद्यतन अथवा साझा करने के संबंध में अनुमति न दें, जो किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या अन्य स्वामित्व अधिकारों का उल्लंघन करती हो।

पायरेसी-रोधी कार्रवाई

उपरोक्त विधिक प्रावधानों के अनुसार, मध्यस्थ टेलीग्राम ऐप को दिनांक 11.03.2026 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(ख) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया, ताकि 3,142 ऐसे चैनलों को हटाया जा सके तथा उन तक पहुंच निष्क्रिय की जा सके, जो कुछ सामग्री स्वामियों, ओटीटी प्लेटफॉर्म्सों और निर्माताओं के स्वामित्व या लाइसेंस प्राप्त सामग्री को बिना प्राधिकरण के, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 के उल्लंघन में प्रकाशित कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, पायरेटेड सामग्री होस्ट करने वाली लगभग 800 वेबसाइटों तक पहुंच को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) के माध्यम से निष्क्रिय किया गया है।
